



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9289

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40714 वर्ष 2025

अनरुल्लाह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अम्बरीश कुमार, मुजबूरहमान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मुजीबूरहमान, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान एजीए श्री अरिमर्दन यादव को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक अनारुल्लाह की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 24 of 2024, धारा 3(1), उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना गोलहौरा, जनपद सिद्धार्थ नगर में जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण इस प्रकरण में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के चार प्रकरण को पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में उकसाया या सहायता नहीं की है। आवेदक का उपरोक्त प्रकरण को छोड़कर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 17.12.2023 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में प्रकरण की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए प्रकरण को छोड़कर आवेदक के खिलाफ किसी अन्य प्रकरण की ओर इशारा नहीं किया है।

अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **अनारुल्लाह**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक (i) प्रकरण को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।



(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के प्रकरण में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

दीपक/